वन उत्पादकता संस्थान, रांची
संविधान दिवस, 26 नवम्बर, 2020

संविधान दिवस के अवसर पर दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को वन उत्पादकता संस्थान, रांची में पूर्वाहन 11.00 बजे संस्थान के निदेशक डॉ. नितिन कुलकर्णी के नेतृत्व में संस्थान के प्रभागाध्यक्षों, वैज्ञानिकों, तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अनुसंधान सहकर्मियों द्वारा वैश्विक महामारी कोविड - 19 के भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सहायक महानिदेशक, प्रशासन (Assistant Director General, Administration), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून द्वारा प्राप्त भारत के संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका (स्कैन किया i.e. scanned प्रति संलग्न) की शपथ ली गयी। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक ने भारतीय संविधान की महत्ता का वर्णन करते हुये भारतीय संविधान के **मौलिक अधिकार** जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं **मौलिक कर्तव्य** जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले, माता-पिता या संरक्षक है द्वारा छह वर्ष से

चौदह वर्ष के बच्चो हेतु प्राथमिक शिक्षा करना से अवगत कराया तथा इस पर सभी को अमल करने की प्रार्थना की। कार्यक्रम की समाप्ती राष्ट्रगान से की गयी।

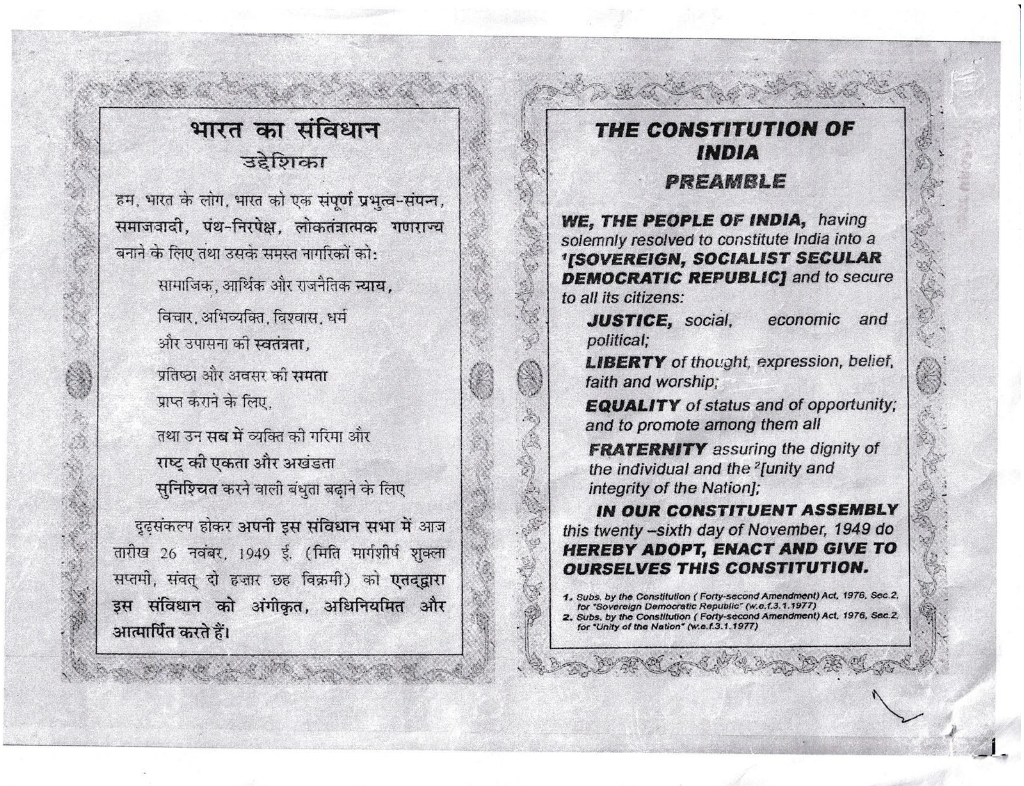

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, *having solemnly resolved to constitute India into a* [1]**[SOVEREIGN, SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** *and to secure to all its citizens:*

JUSTICE, *social, economic and political;*

LIBERTY *of thought, expression, belief, faith and worship;*

EQUALITY *of status and of opportunity; and to promote among them all*

FRATERNITY *assuring the dignity of the individual and the* [2]*[unity and integrity of the Nation];*

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY *this twenty –sixth day of November, 1949 do* **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f.3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f.3.1.1977)

भारत के संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका

संविधान दिवस समारोह की झलकियां

संविधान दिवस समारोह की झलकियां